दिनांक 18.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 20/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुलिस अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु/प्रताड़ना की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में दिये गये कड़े दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 को पुलिस अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु/प्रताड़ना की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय–समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये है।

- किसी व्यक्ति/अभियुक्त को थाने पर पूछताछ के लिए लाने से पूर्व इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि क्या वह पूर्व से किसी गम्भीर रोग से ग्रस्त तो नहीं है। गम्भीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति/गिरफ्तार अभियुक्त को थाने पर कदापि न लाया जाए। यदि किन्ही कारणोंवश थाने पर लाये गये व्यक्ति/गिरफ्तार अभियुक्त आकस्मिक रूप से बीमार हो जाता है, तो इस आकस्मिकता के दृष्टिगत उसका समीप के चिकित्सालय में तत्काल उपचार कराया जाए।
- थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी के जानकारी के बिना थाने अथवा पुलिस चौकी में किसी व्यक्ति को न तो लाया जाए और ना ही बैठाया जाए। यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश लाया जाए तो इसका समुचित अभिलेखीकरण भी तत्समय ही किया जाए।
- यदि अभियुक्त/व्यक्ति बीमार अवस्था में है तो उसे समीप के चिकित्सालय में ले जाकर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
- थानों पर किसी अभियुक्त/व्यक्ति से पूछताछ (INTERROGATION) का कार्य मनोवैज्ञानिक तरीको का प्रयोग करते हुए अत्यन्त धैर्यपूर्वक किया जाए। पूछताछ

जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में की जाए। प्रत्येक पूछताछ थाना प्रभारी द्वारा स्वयं अथवा नामित निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा ही की जाए। जिसका विवरण पूछताछ रजिस्टर में अंकित किया जाए।

- अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं हवालात में दाखिल करते समय मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी० के० बसु बनाम स्टेट ऑफ बंगाल में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- यदि पूछताछ के लिये लाये गये अभियुक्त का स्वास्थ्य बिगड़ने लगे तो उसे तुरन्त चिकित्सालय ले जाया जाये, यथा सम्भव इस प्रक्रिया की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी करा ली जाये तथा अभियुक्त की चिकित्सा में किसी भी दशा में विलम्ब न किया जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में हुयी मृत्यु की घटनाओं के संबंध में पंजीकृत अभियोगो की सूचना 24 घण्टों के अन्दर मानवाधिकार आयोग को प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दी जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में पंजीकृत किये गये अभियोगों की विवेचना पूरी निष्पक्षता से करायी जाये।

उपरोक्त निर्गत दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

दिनांक 18.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 21/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर उद्यमियों/निर्दोष व्यक्तियों के विरूद्व निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 को न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर उद्यमियों/निर्दोष व्यक्तियों के विरूद्व निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है।

विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा समय–समय पर विभिन्न स्तर पर प्रत्यावेदन के माध्यम से यह तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि व्यवसायिक विवादों, जो मूलतः सिविल प्रकृति के होते हैं, को आपराधिक रंग देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों, संस्थानों आदि में कोई आकस्मिक घटना/ दुर्घटना होने पर प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों के अतिरिक्त मैनेजमेन्ट स्तर के लोगों को भी प्रथम सूचना में नामित कर दिया जाता है, जिनका उस घटना से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है।

न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर निर्दोष व्यक्तियों, विशेष रूप से उद्यमियों के विरुद्ध निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया जाना शासन की प्रदेश में उद्यमियों को आमंत्रित करने तथा Ease of Doing Business को बढ़ावा देने की नीति के विपरीत है। इस प्रकार की घटनाओं से व्यवसायी उ0प्र0 में निवेश करने से हतोत्साहित हो सकते हैं।

समय समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, व्यापारिक अपराध, चिकित्सीय लापरवाही के प्रकरण, भ्रष्टाचार के प्रकरण, ऐसे प्रकरण, जिनमें प्रथम सूचना पंजीकृत कराने में अस्वाभाविक

विलम्ब हुआ हो, ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व जाँच करायी जा सकती है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्णित उपरोक्त पाँच श्रेणी के प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है तो प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट खंडित करने अथवा विवेचना स्थगित करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं योजित की जाती है, जिससे मा0 न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और पुलिस प्रशासनिक मशीनरी पर भी अनावश्यक कार्य का भार बढ़ता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह युक्तियुक्त पाया जा रहा है कि उपरोक्त वर्णित सभी पाँच प्रकार के प्रकरणों में यदि प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से संज्ञेय अपराध का होना न पाया जाए अथवा संशय की स्थिति हो तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि घटना में संज्ञेय अपराध का होना पाया जा रहा है अथवा नहीं। तत्पश्चात ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाए।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उपरोक्त के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यवाही हेतु समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है –

उद्यमियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों यथा भवन निर्माताओं, फैक्ट्री संचालकों, होटल संचालकों, अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालकों तथा स्कूल/शैक्षिक संस्थाओं के संचालकों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व जॉच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र–

A- व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता/व्यवसायिक विवाद अथवा सिविल विवादों को आपराधिक स्वरूप देते हुये तो नहीं प्रस्तुत किया गया है।

B- प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से क्या संज्ञेय अपराध का होना प्रमाणिक रूप से स्पष्ट हो रहा है।

C- जाँच के दौरान जाँच अधिकारी द्वारा वादी तथा प्रतिवादी अर्थात उभयपक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा तथा प्रकरण से सम्बन्धित दोनों पक्षों

द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को भी जाँच आख्या के साथ संलग्न किया जायेगा।

उपरोक्त निर्गत दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

दिनांक 18.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 22 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की आई0पी0एस0 प्रोबेशनर्स (वर्ष 2023 बैच) के अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से आज दिनांक 18.07.2024 को पुलिस मुख्यालय में Stydy-Cum-Cultural-Tour हेतु आये आई0पी0एस0 प्रोबेशनर्स (वर्ष 2023 बैच) के प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी। शिष्टाचार भेंट में भारत वर्ष के भिन्न–भिन्न राज्यों के **22 भारतीय पुलिस सेवा** के साथ–साथ **02 नेपाल पुलिस संगठन (NPO)** एवं **01 मालदीव पुलिस संगठन (MPO)** के चयनित प्रशिक्षु अधिकारी भी सम्मिलित हुये।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा मुलाकात के दौरान अपने उद्बोधन में उ0प्र0 पुलिस के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हुये वर्तमान परिवेश में जनता की सुरक्षा एवं अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियानों यथा कम्युनिटी पुलिसिंग, ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन त्रिनेत्र आदि के बारे में विस्तार से बताते हुये भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में एक जुलाई से लागू किये गये तीन नये कानूनों की उपयोगिता के बारे में चर्चा की गयी।

अपने सम्बोधन में यह भी कहा गया कि पुलिस सेवा जनता के विभिन्न वर्गो की सेवा हेतु एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आपको जनता के लिए आसानी से सुलभ होना चाहिए। आपको स्वच्छ इरादे के साथ काम करना चाहिए। विशेषतौर पर महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं उन पर त्वरित कार्यवाही कराते हुये मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर दोषियों को सजा दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा पुलिस की सेवा में नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति रखना ही सफलता का मूल मन्त्र है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों के जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक साइवर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जनपद जौनपुर/थाना बक्शा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 11 हजार 400 रूपये नगद**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 17.07.2024 को थाना बक्शा, थाना बदलापुर, थाना सुजानगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गढा सैनी पुल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अतुल उर्फ राजा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 11 हजार 400 रूपये नगद, लूट के सोने के आभूषण, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर, प्रतापगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद जौनपर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बक्शा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतुल उर्फ राजा निवासी भूपियामऊ डिहवा थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ़, हालपता भुईधरा बेलसडा थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–लूट के 11 हजार 400 रूपये नगद।

2–लूट के सोने के आभूषण।

3–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भोपा

- **लूट/चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 17 हजार 300 रूपये नगद**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17/18.07.2024 को थाना भोपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरूकी रोड स्कूल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–टीटू उर्फ कूडा 2–अक्षय 3–रोहित घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। दो अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 17 हजार 300 रूपये नगद, लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना भोपा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारिक की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भोपा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना भोपा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–टीटू उर्फ कूडा निवासी फिरोजपुर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

2–अक्षय निवासी योगेन्द्रनगर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

3–रोहित निवासी योगेन्द्रनगर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लूट के 17 हजार 300 रूपये नगद।

2–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद भदोही/गोपीगंज

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 09 किलो 267 ग्राम चाँदी व चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 18.07.2024 को थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हंडिया बाईपास ओवर ब्रिज के पास से 05 अभियुक्तों 1–सुजीत 2–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही से अभियुक्त 3–अंशु कुमार 4–कप्तान 5–सत्यम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 09 किलो 267 ग्राम चाँदी व चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना गोपीगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुजीत निवासी सगरा सुंदरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

2–अजय निवासी फरीदपुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

3–अंशु कुमार निवासी कसारी थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

4–कप्तान निवासी डाडी पूरेसर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

5–सत्यम निवासी रसूलपुर चांदन थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1–लूट के 09 किलो 267 ग्राम चाँदी व चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद अमेठी/थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 चार पहिया वाहन**
- **चार पहिया वाहन के कटे हुए पार्टस**
- **01 जनरेटर, गैस वेल्डिंग, गैस कटर आदि बरामद**

दिनांक 18.07.2024 को थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अयोध्या मार्ग आजाद नगर के पास से 04 अभियुक्तों 1–रिंकू उर्फ ओम प्रकाश 2–धीरज 3–सिराज उर्फ सहनवाज 4–शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 चार पहिया वाहन, चार पहिया वाहन के कटे हुए पार्टस, 01 जनरेटर, गैस वेल्डिंग, गैस कटर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रिंकू उर्फ ओमप्रकाश के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, जौनपुर, सुलतानपुर, अमेठी, अयोध्या, प्रयागराज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग, अभियुक्त सिराज उर्फ सहनवाज के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, संतकबीरनगर, अमेठी, अयोध्या, कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू उर्फ ओम प्रकाश निवासी ग्राम भेला थाना सरपतहा जनपद जौनपुर।

2–धीरज निवासी मगरसन कला थाना करौंदी कला जनपद सुल्तानपुर।

3–सिराज उर्फ सहनवाज निवासी अमगिलिया थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

4–शिव कुमार निवासी कछवां रोड पूरे गांव थाना मिर्जामुराद कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी की 03 चार पहिया वाहन।

2–चार पहिया वाहन के कटे हुए पार्टस।

3–01 जनरेटर, गैस वेल्डिंग, गैस कटर आदि।

- **जनपद फिरोजाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 60 लाख 65 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ फौजी पुत्र ग्रीशचन्द्र निवासी नगला कुंजी जवापुर थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी हालपता यशोदा नगर कस्बा व थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 60 लाख 65 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जलालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना जलालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विनोद कुमार 2–रूद्र प्रकाश 3–राजनन्दन 4–लालजी को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सुलतानपुर/थाना हलियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना हलियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चन्द्रशेखर को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना गुलरिहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को 14–14 वर्ष के कारावास की सजा व 12 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गुलरिहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/323/452/308/304/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जगरोपन 2–बालकेश 3–सचिन 4–अंगद 5–रामसागर को 14–14 वर्ष के कारावास व 12 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना गजरौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना गजरौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/511/307/354(क) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मदन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अरूण को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना अतर्रा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना अतर्रा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————